पुनरीक्षण प्र.क. /
प्रस्तुती दिनांक: 6/2/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व पर्षद ग्वालियर

पीठ इन्दौर, इन्होंके समक्ष में

पुनरीक्षण आवेदक की ओर से धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत,

PBR/निगरानी/खरगोन/भू.रा./2018/1518

हाजी वजीउद्दीन पिता हाजी मुल्ला मोहम्मद हुसैन बोहरा

आयु 84 वर्ष व्यवसाय व्यापार निवासी डायव्हर्शन रोड़

आरती टॉकीज के सामने खरगोन तहसील व जिला खरगोन म.प्र. —— आवेदक

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
सुश्री आन्नु सावले
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 06-02-2
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधी

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजस्व खरगोन

2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,

राजस्व खरगोन —— अनावेदकगण

129
06-02-2018

आयुक्त कार्या. इन्दौर से दिनां -20/2/18 को प्रस्तुत

विषय:— भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तित न मानने, प्रिमियम एवं भूराजस्व के पुननिर्धारण को वर्ष 2011—12 की गाईडलाईन अनुसार न करने तथा दण्डादेश अधिरोपण के आदेश को निरस्त करने बाबद ।

इसमें आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार है:—

यहकि माननीय अधिनस्थ श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा अपने रा.प्र.क.69अपील/2016—17 में दिनांक 9/1/18 को पारित आदेश से असन्तुष्ट एवं परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है।

यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 9/1/18 का होने से यह पुनरीक्षण आवेदन अवधि में प्रस्तुत है।

यहकि पुनरीक्षण आवेदन योग्य न्यायशुल्क मुद्रापत्र पर प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यहकि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित भूमि कस्बा खरगोन प.ह.क.43 खसरा क.272/3/4 कुल रकबा 0.162 हेक्टर पूर्व से व्यपवर्तित रही है।

यहकि अधीक्षक परिवर्तित भूमि का यह आक्षेप रहा है कि आवेदक नें आवासीय प्रयोजन की भूमि को अनावेदक 2 की अनुमति के बिना आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तन आवेदक द्वारा कर लिया गया है। यह परिवर्तन आवेदक द्वारा वर्ष 2005—06 से आक्षेपित किया गया है। अनावेदक 2 द्वारा तत्सम्बन्धी

PBR/R/ बरगौन/Rev./2018/1418

18/7/18

P.O.

आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष